

Eastern Railway
(Personnel Department)

Serial Circular No. 11/2015

No. E.678/0/Vol. VIII

Kolkata, Dated: 30/01/2015

All Concerned

Sub: Amendment to rule 3C of Railway Services (Conduct) Rules, 1966.

Railway Board's instructions contained in letter No. E(D&A) 2014 GS1-4 dated 12.01.2015 (**RBE No.2/2015**) on the above noted subject, along with its enclosure (**ACS No.124**) are forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

DA: Hindi Version.


(S. K. Chattopadhyay)
Asstt. Personnel Officer/HQ
For Chief Personnel Officer
Phone No. 24122

Copy of Board's letter No. E(D&A) 2014 GS1-4 dated 12.01.2015 (**RBE No.2/2015**) addressed to the GM (P)/All Zonal Railways & others.

Sub: Amendment to rule 3C of Railway Services (Conduct) Rules, 1966.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby directs that Rule 3C of the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, contained in Appendix-I of the Indian Railway Establishment Code-Vol.-I Fifth Edition, 1985 (Third Reprint Edition, 2008) may be amended as in the Advance Correction Slip No. 124 enclosed.

Please acknowledge receipt.

Sd/- (S. Modi)
Dy. Director Estt. (D&A)
Railway Board.

DA: ACS No. 124

Index No. 1025: Amendment to Rule 3C of the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, contained in Appendix-I of the Indian Railway Establishment Code-Vol.-I Fifth Edition, 1985 (Third Reprint Edition, 2008).

Contd.

**INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE – VOL.I (FIFTH EDITION 1985 THIRD
REPRINT EDITION, 2008)**

Appendix-I- Railway Services (Conduct) Rules, 1966

Advance Correction Slip No. 124

In the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, for Rule 3C the following rule shall be substituted namely:-

"3 C. Prohibition of sexual harassment of working women –

(1) No Railway servant shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at any work place.

(2) Every Railway servant who is incharge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at the work place.

Explanation. – (I) For the purpose of this rule,-

(a) "sexual harassment" includes any one or more of the following acts or behaviour (whether directly or by implication) namely :-

- (i) Physical contact and advances; or
- (ii) a demand or request for sexual favours; or
- (iii) making sexually coloured remarks; or
- (iv) showing pornography; or
- (v) any other unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct of a sexual nature.

(b) the following circumstances, among other circumstances, if it occurs or is present in relation to or connected with any act or behaviour of sexual harassment may amount to sexual harassment :-

- (i) implied or explicit promise of preferential treatment in employment; or
- (ii) implied or explicit threat of detrimental treatment in employment; or
- (iii) implied or explicit threat about her present or future employment status; or
- (iv) interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her; or
- (v) humiliating treatment likely to affect her health or safety.

(c) "workplace" includes,-

- (i) any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the Central Government;
- (ii) hospitals or nursing homes;
- (iii) any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereto;
- (iv) any place visited by the employee arising out of or during the course of employment including transportation provided by the employer for undertaking such journey;
- (v) a dwelling place or a house."

(Authority – Railway Board's letter No. E(D&A) 2014 GS1-4 dated 12.01.2015)

आरबीई सं. 2/2015

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं.ई(डीएंडए)/2014/जीएस 1-4

नई दिल्ली, दिनांक 12.01.2015

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 3 ग में संशोधन.

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा निर्देश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता-जिल्द I, पांचवा संस्करण, 1985 (तृतीय पुनर्मुद्रण संस्करण, 2008) के परिशिष्ट- I में अंतर्विष्ट रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 3 ग को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 124 के अनुसार संशोधित किया जाए.

कृपया पावती दें.

शैलेंद्र मोदी

(एस. मोदी)

उपनिदेशक स्थापना (अनु. एवं अपील)

रेलवे बोर्ड.

संलग्नक: अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 124

**भारतीय रेल स्थापना संहिता-जिल्द-I(पांचवा संस्करण, 1985
तृतीय पुनर्मुद्रण संस्करण, 2008)**

परिशिष्ट- I रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966

अधिम शुद्धि पर्ची सं. 124

रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966, में नियम 3 ग के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :-

"3-ग- कामकाजी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध-

(1) कोई भी रेल सेवक किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी महिला के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी किसी कार्य में लिप्त नहीं होगा.

(2) प्रत्येक रेल सेवक, जो कार्यस्थल का प्रभारी है, अपने कार्यस्थल पर किसी भी महिला का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए समुचित कदम उठाएगा.

स्पष्टीकरण-(1) इस नियम के प्रयोजनार्थ:-

(क) "लैंगिक उत्पीड़न" के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक निंदनीय कार्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या तात्पर्यित) सम्मिलित है; अर्थात्-

- (i) शारीरिक संपर्क और फायदा उठाना; या
- (ii) लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना; या
- (iii) लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना; या
- (iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या
- (v) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक, गैर-शाब्दिक आचरण करना.

(ख) अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नलिखित परिस्थितियों को, यदि लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में उत्पन्न होती हैं या विद्यमान हैं, या उससे संबंधित है, लैंगिक उत्पीड़न माना जा सकेगा:-

- (i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वचन देना; या
 - (ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना; या
 - (iii) उसकी वर्तमान या भावी नियोजन के प्रास्थिति के बारे में अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना; या
 - (iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभिवासरमय या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सृजित करना; या
 - (v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाला अपमानजनक आचरण करना.
- (ग) "कार्यस्थल" में निम्नलिखित शामिल हैं-
- (i) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या भागतः उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती है;
 - (ii) अस्पताल या परिचर्या गृह;
 - (iii) प्रशिक्षण, खेलकूद या उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद कॉम्प्लेक्स या प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा का स्थान, चाहे आवासीय हो या नहीं;
 - (iv) नियोजन से प्रोदभूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा भ्रमण किया गया कोई स्थान, जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है;
 - (v) कोई निवास-स्थान या कोई गृह."

(प्राधिकार- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई/डीएंडए) 2014 जी.एस.1-4 तारीख 12.01.2015)